

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012 (चैत्र 6, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, प्रदेश में रेत निकासी के पट्टे स्वीकृत करने का अधिकार खनिज निगम को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा में विदेशी पर्यटकों के साथ लूटपाट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं शिक्षकों को भुगतान न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. कल्पना परुलेकर, श्री आरिफ अकील, सदस्य, मालवा अंचल में ओला पीड़ित कृषकों को राहत राशि न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल हेतु बस रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम योजना की राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले में शासकीय विद्यालय परिसरों में हैण्डपंप खनन का कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री प्रताप ग्रेवाल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, पारस दादा, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले में पत्थर खदानों में कार्यरत श्रमिकों का उचित इलाज न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य, देवास के ग्राम कोन्ता में एक बालिका की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति का 142वां से 158वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के -
 - (क) ग्राम खोह खेरावली में धर्मशाला का निर्माण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम खासाकापुरा में हैण्डपंप खनन कराये जाने,
 - (ग) ग्राम नूराबाद में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
 - (घ) ग्राम बड़ापुरा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम खरगपुर में हैण्डपंप खनन कराये जाने,
- (2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -
 - (क) ग्राम सेसईपुरा में हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
 - (ख) ग्राम रघुनाथपुरा में शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम बुढ़ेरा से कोटा गढ़ कर मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (3) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-
 - (क) ग्राम घुघरी की बेलकुण्ड नदी के कटाव को रोके जाने,
 - (ख) ग्राम मठाना में स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
 - (ग) ग्राम देवरीयाखाड़ी की महा नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने, तथा
 - (घ) ग्राम पोडी खुर्द की बैसकुण्ड नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
 - (क) ग्राम कुण्डाली कला में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम झुरैमाल के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
 - (ग) ग्राम डोगरिया, तीतरा के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने, तथा
 - (घ) ग्राम दबक की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (5) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
 - (क) ग्राम पंचायत चिखारी में लगने वाले बाजार का शेड निर्माण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम पंचायत कराठा में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
 - (ग) ग्राम सरसेड़ से चपरन तक सड़क निर्माण कराये जाने,
 - (घ) ग्राम कैथोकर में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम देवथा में बहुउद्देशीय भवन निर्माण कराये जाने,
- (6) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम पंचायत बडखेरा नाथू के श्मशान घाट से अतिक्रमण हटाये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 29 जुलाई, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 2790) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में ठंड एवं पाले से फसलें बर्बाद होने की ओर सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, यादवेन्द्र सिंह, पारस दादा तथा डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.